2019/00460

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **107/2019** (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाईनेन्स लि. साधना हाउस द्वितीय फ्लोर 570, पी. बी. मार्ग, वर्ली, मुम्बई शाखा कार्यालय 46, 47 श्रीनाथ टावर, प्रथम तल, वैशाली नगर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती गिरिजा सोनी पत्नी श्री अशोक कुमार सोनी
2. श्री अशोक कुमार सोनी पुत्र श्री सीताराम सोनी

पता–प्लाट संख्या सी–110, अर्चना नगर, वार्ड संख्या 6, मुरलीपुरा, जयपुर।

प्लाट संख्या 217–सी, फ्लैट संख्या–एलजी–01, ग्राउण्ड फ्लोर, गणेश नगर, निवारू रोड, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–श्री लोकेश चन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

निर्णय दिनांक 4-11-2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को 30.07.2016 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती गिरिजा सोनी पत्नी श्री अशोक कुमार सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट संख्या 217–सी, स्थित फ्लैट संख्या–एलजी–01, ग्राउण्ड फ्लोर, गणेश नगर, निवारू रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 69.70 वर्गमीटर को बन्धक रख कर 11,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.02.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थीगण ऋणी को सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.02.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्र क्रमशः इण्डियन एक्सप्रेस व पंजाब केशरी में 18.12.2018 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक अप्रार्थी अप्रार्थी श्रीमती गिरिजा सोनी पत्नी श्री अशोक कुमार सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट संख्या 217–सी, स्थित एवं बन्धक फ्लैट संख्या–एलजी–01, ग्राउण्ड फ्लोर, [illegible]श नगर, निवारू रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 69.70 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 4-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर